



प्रधान आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय माल एवं सेवाकर, उत्तरी दिल्ली
केंद्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली

फा.सं.11-13/D-I/PC/NPS/MIN/Misc./2017/944-964/23.01.2019

दिनांक 21.01.2019

सेवा में,

1. सीबीआईसी के अंतर्गत सभी निदेशालय
2. सीबीआईसी के अंतर्गत अन्य संरचनाएं

महोदया/महोदय

विषय: संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) से ऋण (लोन) आधार पर पदस्थापित अधिकारियों को अर्जित अवकाश/सीसीएल/चिकित्सा अवकाश/आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति।

मंत्रालय के परिपत्र फा.सं. 11019/5/2017-एडी-IV दिनांक 16.06.2017, जिसमें पैरा 2, में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "..... अर्जित अवकाश की स्वीकृति, दौरे की स्वीकृति और अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत सक्षम प्राधिकारी के पास निहित होगी संगठन जिसमें अधिकारी/कर्मचारी ऋण (लोन) पर है।"

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अनुरोध किया जाता है कि संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) से ऋण (लोन) के आधार पर पदस्थापित अधिकारियों की छुट्टी संबंधित निदेशालय/सीबीआईसी संरचनाओं द्वारा निपटाई जा सकती है, जहां अधिकारी ऋण (लोन) आधार पर तैनात हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी की मंजूरी के बाद ली गई छुट्टी की सूचना संबंधित अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए वेतन शाखा, जीएसटी, दिल्ली उत्तर को प्रेषित की जाए।

यह दोहराया जाता है कि अब से संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण से ऋण (लोन) आधार पर पदस्थापित अधिकारियों के संबंध में जीएसटी, दिल्ली उत्तर द्वारा कोई अवकाश आवेदन नहीं लिया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आपका विश्वासी

(आलोक झा)

अपर आयुक्त

जीएसटी, दिल्ली उत्तर